Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 12-05-2005

Participants : Paswan Shri Ram Vilas

>

Title: Regarding status of implementation of recofmmendations contained in the 2nd Report of Standing Committee on Chemicals & Fertilizers. – Laid.

12.03 ½ hrs

(iii) STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE SECOND REPORT OF STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS & FERTILISERS PERTAINING TO THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य *सभा पटल पर रखता हूं -

मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2004 को लोक सभा बुलेटिन के भाग-II के अंतर्गत जारी निर्देश 73-क के अनुसरण में रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूं।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने वर्ा 2004-05 के लिए उर्वरक विभाग की अनुदान मांगों की जांच की और लोक सभा और राज्य सभा में दूसरा प्रतिवेदन दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में 22 सिफारिशें की गयी हैं। ये सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित है।

1. किसानों को राजसहायता का सीधे भुगतान करना।

2. उर्वरक उत्पादक इकाइयों के वित्त-पोाण पर नयी मूल्य-निर्धारण योजना का प्रभाव और इसका समाधान ढूंढना।

3. गैस/एलएनजी जैसे मुख्य फीडस्टाक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और नेफ्था/ईंधन तेल/एलएसएचएस संयंत्रों को गैस आधारित संयंत्रों में बदलना, एलएनजी के मूल्य को तर्कसंगत और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना।

4. विगत 3 वर्ो की योजना अवधि के दौरान नियोजित परिव्ययों का उपयोग नहीं हो सका है जिसके परिणामस्वरूप निधियों का समग्र उपयोग पर्याप्त नहीं है और फलस्वरूप आर्थिक विकास नियोजित ढंग से नहीं हो पाता। बीवीएफसीएल-III परियोजना के कार्यान्वयन में हुए विलम्ब पर गंभीर टिप्पणी करते हुए समिति ने सिफारिश की कि सभी बंद पड़े संयंत्रों को पुनर्जीवित करने की संभावनाओं की जांच की जाये। समिति ने इच्छा जाहिर की कि उर्वरक विभाग को एमएफएल के लिए तृतीय और दीर्घावधि वित्तीय पुनर्गठन पैकेज को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए जोर शोर से प्रयास करने चाहिए। समिति ने यह सिफारिश की कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि कृभको और आरसीएफ की अनुमोदित परियोजनाओं को 10वीं योजना के दौरान पूरा कर लिया जाये। समिति ने ओमान-भारत संयुक्त उद्यम परियोजना (ओमिफ्को) में हुई प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर की।

5. वर्ा 2004-05 के लिए उर्वरक विभाग की 13294.17 करोड रूपए की अनुदान मांगों, जिनमें से 12828.17 करोड़ रूपए गैर-योजना निधियों के लिए हैं, का समर्थन करते हुए समिति ने टिप्पणी की कि मंत्रालय को वर्ा के लिए स्वीकृत अपने बजट के

अनुसार ही अपने व्यय को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए।

---

*Statement was laid on the Table .(Placed in Library, See No. LT 2255/05)

6. समिति ने सिफारिश की कि फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की खपत में संतुलित उर्वरण स्थिरता एक चिंता का विाय है। फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक क्षेत्र के संबंध में पर्यावरण नीति सहित अन्य कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन उर्वरकों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की कमी को दूर करने के लिए सरकार को देश के उन स्थानों पर अधिक संख्या में संयुक्त उद्यम की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। समिति ने यह टिप्पणी भी की है कि ि वभाग को चाहिए कि नियंत्रणमुक्त उर्वरक क्षेत्र में नीति संबंधी अन्य मुद्दों जैसे मिश्रित उर्वरकों और एस.एस.पी. के अधिकतम खुदरा मूल्य को अंतिम रूप दे।

7. समिति ने अपनी 41वीं और 44वीं रिपोर्ट (13वीं लोक सभा) में की गयी सिफारिशों का स्मरण दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकारों द्वारा बिक्री प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी समस्या से नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की इकाइयों को रियायत का भुगतान करने में देर हो जाती है। इसलिए मौजूदा कार्यप्रणाली के स्थान पर उर्वरकों के आयात, उत्पादन और प्रेाण संबंधी आंकड़ों पर आधारित यथाशीघ्र नयी योजना शुरू करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

मंत्रालय में समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया गया है और कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गयी है। कुल 22 सिफारिशों/टि प्पणियों में से 8 सिफारिशे/टिप्पणियां अर्थात 4,5,6,7,13,14 और 15 सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं। 3 सिफारिशों/टिप्पणियों अर्थात 9,12, और 18 के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर को देखते हुए समिति इन पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। समिति को सिफारिश 2 और 8 से संबंधित वास्तविक स्थिति दिनांक 15.3.05 को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

सिफारिशों/टिप्पणियों अर्थात 1,3,10,11,16,17,19,20 और 22 के संबंध में की गयी कार्रवाई संबंधी उत्तर समिति को 7 दिसम्बर, 2004 को भेज दिए गए हैं। इन पर की गयी कार्रवाइयों के संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है।